दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या. (सि.) 5329/2008

निर्णय की तिथि: 10.09.2008

टंडन कुमार और अन्य ..... याचीगण

द्वारा: श्री पी. चंद्र और श्री अशोक कुमार, अधिवक्तागण

बनाम

दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री ए. मरियारपुथम, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए अधिवक्ता।

श्री मनिंदर सिंह और श्री टी. सिंहदेव, प्रत्यर्थी सं. 2/एम.सी.आई. के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री ज्योति सिंह और श्री अंकुर छिब्बर, प्रत्यर्थी सं. 4 के लिए अधिवक्ता।

श्री एस.के. लूथरा, प्रत्यर्थी सं. 6 के लिए अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं

को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?

2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ

3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

<u>न्या. विपिन सांघी (मौखिक)</u>

1. याचीगण, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उक्त विश्वविद्यालय से संबद्ध चिकित्सा/दंत चिकित्सा संस्थानों में एम.बी.बी.एस. और बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए थे, ने 08.07.2008 के संचार को अभिखंडित करने के लिए उत्प्रेषण रिट माँगने के लिए यह रिट याचिका दायर की है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में, इसके दो संबद्ध संस्थानों अर्थात् मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (यूसीएमएस) में शैक्षणिक सत्र 2008-09 के लिए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। याचीगण ने प्रत्यर्थीगण को केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के उपबंधों के अनुसार ओबीसी श्रेणी के विद्यार्थियों को आरक्षण प्रदान करने तथा वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2008-09 में पात्र अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में सीटें आवंटित करने का निर्देश देने के लिए परमादेश का भी अनुरोध किया है।

2. 03.01.2007 को लागू अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में सीटों में ओबीसी के लिए आरक्षण अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमत संख्या में से 27% सीटों की सीमा तक प्रदान किया जाएगा। अधिनियम की धारा 2(घ) में अन्य बातों के साथ-साथ "केंद्रीय शैक्षिक संस्थान" को "केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय" के रूप में परिभाषित किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा पारित दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा की गई है और यह एक केंद्रीय शैक्षिक संस्थान है। एम.ए.एम.सी. और यू.सी.एम.एस. इससे संबद्ध संस्थान हैं और अधिनियम में निहित केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने के लिए बाध्य हैं।

3. "वार्षिक अनुमत संख्या" को धारा 2(ख) में निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया गया है:-

> *(ख)* "वार्षिक अनुमत संख्या" का अभिप्रेत किसी केंद्रीय शैक्षिक संस्थान में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए समुचित प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में शिक्षण या अनुदेशन के लिए किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में सीटों की संख्या से है;"

4. उक्त अधिनियम की धारा 5 और 6 प्रासंगिक हैं, तथा निम्नानुसार हैं:-

"5. (1) धारा 3 के खंड (iii) में और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक केंद्रीय शिक्षा संस्था समुचित प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से, अध्ययन की किसी शाखा या संकाय में सीटों की संख्या में, उसकी वार्षिक अनुमत संख्या के अतिरिक्त वृद्धि करेगी ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर सीटों की संख्या इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या से कम न हो।

(2) जहाँ किसी केंद्रीय शैक्षिक संस्था के अभ्यावेदन पर केंद्रीय सरकार समुचित प्राधिकरण के परामर्श से इस बात से संतुष्ट है कि वित्तीय, भौतिक या शैक्षिक सीमाओं के कारण या शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए ऐसी संस्था की अध्ययन की किसी शाखा या संकाय में वार्षिक अनुमत संख्या को इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् आने वाले शैक्षिक सत्र के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है, वहाँ वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी संस्था को इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् आने वाले शैक्षिक सत्र से प्रारंभ होने वाले अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक अनुमत संख्या में वृद्धि करने की अनुमति दे सकेगी; और तब धारा 3 के खंड (iii) में उपबंधित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा उस शैक्षिक सत्र के लिए इस प्रकार सीमित होगी कि प्रत्येक शैक्षिक सत्र के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमेय संख्या में वृद्धि के अनुरूप हो।

6. कैलेंडर वर्ष, 2007 से प्रारंभ होने वाले अपने शैक्षणिक सत्रों में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण - केंद्रीय शैक्षिक संस्थान कैलेंडर वर्ष, 2007 से प्रारंभ होने वाले अपने शैक्षणिक सत्रों में प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँगे।"

5. धारा 2(ख) और 5 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “समुचित प्राधिकरण” को धारा 2(ग) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

> *“(ग)* "समुचित प्राधिकरण" से अभिप्रेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय बार काउंसिल, भारतीय चिकित्सा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या किसी केंद्रीय शैक्षिक संस्थान में उच्चतर शिक्षा के मानकों के निर्धारण, समन्वय या रखरखाव के लिए केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय से है।”

6. अधिनियम के उपरोक्त उपबंधों के परिशीलन से पता चलता है कि, भले ही अंततः ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से 27% की सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है, अधिनियम के लागू होने से तीन वर्ष की प्रारंभिक संक्रमण अवधि में, अधिनियम की धारा 5 के अनुसार ओबीसी श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना है। धारा 5 द्वारा निर्धारित योजना केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों की प्रवेश क्षमता को बढ़ाकर उक्त आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतीत होती है ताकि सामान्य अनारक्षित श्रेणी के लिए मौजूदा सीटों की संख्या, जो अधिनियम के लागू होने की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में मौजूद थी, कम न हो। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों को सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संबंधित समुचित प्राधिकरण से अपेक्षित कानूनी अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। चूँकि विचाराधीन संस्थान अर्थात् एम.ए.एम.सी. और यू.सी.एम.एस. दोनों ही चिकित्सा संस्थान हैं, इसलिए हमारे

उद्देश्य के लिए संबंधित समुचित प्राधिकरण भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) है।

7. यद्यपि अधिनियम 03.01.2007 से लागू किया गया था, और इसकी धारा 6 में यह प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थान कैलेंडर वर्ष 2007 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्रों में प्रवेश में सीटों के आरक्षण देने के उद्देश्य से धारा 3, 4 और 5 के उपबंध को प्रभावी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँगे, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 29.03.2007 को ***अशोक कुमार ठाकुर बनाम यूओआई*** में पारित अंतरिम आदेशों के कारण, जिसे (2007) 4 एससीसी 361 के रूप में प्रकाशित किया गया, केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सका, जब तक कि ***अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, (2008) 6एससीसी 1*** में उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय, 10.04.2008 को निर्णीत नहीं हुआ। उस निर्णय के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के निर्णय को बरकरार रखा है। इसलिए, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, अधिनियम का प्रवर्तन केवल 10.4.2008 को और उसके बाद से ही हुआ माना जा सकता है, सिवाय उन केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के, यदि कोई हो, जहाँ उच्चतम न्यायालय के 29.3.2007 के अंतरिम आदेश से पहले ही अधिनियम की धारा 5 के अनुसार ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था।

8. जहाँ तक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) का संबंध है, इसने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2008-09 से अपनी प्रवेश क्षमता में 20 की वृद्धि की है (130 से 150) और संस्थान में ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। चूँकि एल.एच.एम.सी. भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्थान है, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने आप प्रवेश क्षमता में वृद्धि की अनुमति दे दी है। हालाँकि, यू.सी.एम.एस. एक ऐसा संस्थान है जिसे प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है, जबकि एम.ए.एम.सी. दिल्ली की रा.रा.क्षे. सरकार द्वारा प्रबंधित एक संस्थान है। इसलिए, इन संस्थानों के लिए अधिनियम की धारा 3, 5 और 6 की कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए एम.सी.आई. को आवेदन करना अनिवार्य था। मुझे यू.सी.एम.एस. के लिए उपस्थित होने वाले श्री लूथरा द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त संस्थान ने प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को पहले ही एक आवेदन भेज दिया है। एम.ए.एम.सी. के संबंध में, तामील के बावजूद न्यायालय के समक्ष कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, और न्यायालय को यह सूचित नहीं किया गया है कि ***मृदुल धर बनाम भारत संघ,*** (2005) 2 एस.सी.सी. 65 में अनुमोदित अनुसूची के अनुसार केंद्र सरकार को कोई आवेदन किया गया है या नहीं। एमसीआई के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्हें यू.सी.एम.एस. या एम.ए.एम.सी. के संबंध में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

9. ***मृदुल धर (पूर्वोक्त)*** में उच्चतम न्यायालय ने पैरा 28 में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए आवेदन प्राप्त करने और केंद्र सरकार तथा एम.सी.आई. द्वारा उन पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से कार्यक्रम को अनुमोदन दिया है। प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में भी यही प्रक्रिया लागू होगी। उस कार्यक्रम के अनुसार आवेदन केंद्र सरकार के पास वर्ष के 01 अगस्त से 31 अगस्त के बीच प्रस्तुत किए जाने हैं। केंद्र सरकार द्वारा इन्हें उसी वर्ष 30 सितंबर तक भारतीय चिकित्सा परिषद् को अग्रेषित किया जाना आवश्यक है। यदि एम.सी.आई. द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा अनुमति पत्र अंततः अगले वर्ष की 15 जुलाई तक जारी किया जाना है।

10. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ***अशोक कुमार ठाकुर*** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय 10.04.2008 को ही आया, तथा तब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने पर रोक लगा दी गई थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, जहाँ तक वर्तमान शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2008-09 का संबंध है, प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन संभवतः समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका, क्योंकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में इसे प्रभावी करने के लिए यह प्रक्रिया वर्ष 2007 के 01 से 31 अगस्त के बीच शुरू होनी चाहिए थी।

11. अभिलेख से यह देखा गया है कि 28.05.2008 को दिल्ली विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान संकाय ने एम.सी.आई. को एक पत्र भेजा था,

जिसमें एल.एच.एम.सी. के संबंध में प्रवेश क्षमता को 130 से 150 सीटों तक और यू.सी.एम.एस. में 100 से 118 सीटों तक बढ़ाने की सूचना दी गई थी। एम.सी.आई. ने 24.06.2008 के अपने पत्र के माध्यम से जवाब दिया है। एम.सी.आई. का मत यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति और एम.सी.आई. की कार्यकारी समिति ने उक्त पत्र पर विचार किया है। जहाँ तक यू.सी.एम.एस. का संबंध है, प्रवेश क्षमता को 100 से 118 तक बढ़ाने पर अनुकूल रूप से विचार नहीं किया गया, क्योंकि वृद्धि पर केवल 50/100/150 के अनुपात में ही विचार किया जा सकता है। एमसीआई का मत यह भी है कि प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय एम.सी.आई. की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश क्षमता में स्वयं वृद्धि नहीं कर सकता चूँकि केंद्र सरकार को धारा 10क के अंतर्गत एमसीआई द्वारा पूर्व अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता से छूट प्राप्त है, हालाँकि वह अनुमोदन प्रदान करने के उद्देश्य से एम.सी.आई. द्वारा बनाए गए विनियमों से बँधी हुई है, इसलिए एल.एच.एम.सी. के संबंध में प्रवेश क्षमता में 20 सीटों की वृद्धि के लिए उसके द्वारा दिए गए अनुमोदन को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए लागू किया गया है। लेकिन एम.ए.एम.सी. या यू.सी.एम.एस. के संबंध में ऐसा नहीं है।

12. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, मेरी राय है कि याचीगण वर्तमान याचिका में माँगी गई राहत के हकदार नहीं हैं। ओबीसी को आरक्षण का अनुदान केवल अतिरिक्त रूप से सृजित/स्वीकृत सीटों में से ही दिया जाना

चाहिए। धारा 5(1) सामान्य श्रेणी (अनारक्षित सीटें) के लिए सीटों की संख्या को सुरक्षित रखती है जो अधिनियम के लागू होने से पहले मौजूद थीं। इसलिए, अनारक्षित सामान्य श्रेणी की सीटों में से कोई भी सीट आरक्षित करके ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित प्रतिशत सीटें भी कानूनी रूप से निर्धारित हैं और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए उन्हें कम नहीं किया जा सकता है।

13. हालाँकि, प्रत्यर्थी प्राधिकरण उपरोक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। धारा 6 में ही प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान ओबीसी उम्मीदवारों को प्रवेश में सीटों के आरक्षण के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँगे। अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का स्तर जो अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन साल के भीतर हासिल किया जाना है, वार्षिक अनुमत क्षमता का 27% है।

14. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में एम.ए.एम.सी. और एल.एच.एम.सी. में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण न देने के लिए प्रत्यर्थीगण के पास कुछ औचित्य हो सकता है, क्योंकि ***अशोक ठाकुर*** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय केवल 10.04.2008 को दिया गया था और उससे पहले अंतरिम रोक लागू थी। हालाँकि, प्रत्यर्थीगण के लिए कम से कम अगले

शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2009-10 के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए कदम न उठाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

15. इसलिए, मैं इस याचिका को खारिज करता हूँ, लेकिन साथ ही प्रत्यर्थीगण को अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2009-10 से अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देता हूँ। यदि एम.ए.एम.सी. ने प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन नहीं किया है, जिसे 01 से 31 अगस्त, 2008 के बीच किया जाना था, तो उसे आज से दस दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

दस्ती।

न्या. विपिन सांघी

10 सितंबर, 2008
आरएसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*